

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 25/2020

तारीख 5.2.2020

01. कैलाश पिता जयलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थड़ोदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
02. संजय पिता जयलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थड़ोदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
03. केसर पत्नि जयलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थड़ोदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थीगण

बनाम

01. जगदीश पिता छीतर जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी थड़ोदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
02. पप्पु उर्फ औमप्रकाश पिता मोतीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी थड़ोदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.).....विपक्षीगण

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

:- आदेश :-

दिनांक: 25.11.2020

प्रार्थना पत्र कैलाश संजय पिता जयलाल, केसर पत्नि जयलाल जाति धाकड़ निवासी थड़ोदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.) ने जरिये अभिभाषक श्री घनश्यामलाल धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा दांता उर्फ छोटा थड़ोदा पटवार हल्का थड़ोदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 12 पर अंकित आराजी संख्या 512/1 रकबा 0-17 बीघा भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ोसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलिया खुर्द को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस 500/- रूपयें तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा दांता उर्फ छोटा थड़ोदा पटवार हल्का थड़ोदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 12 पर अंकित आराजी संख्या 512/1 रकबा 0-17 बीघा भूमि बशामलात पड़ोसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया




उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)
बिजौलियाँ